न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	148/2022
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2022/148
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	28.04.2022
निर्णय दिनांक	01.09.2022

उनवान

1	बंशीलाल पुत्र रघुनाथ सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	गोपाल पुत्र रघुनाथ सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	पारस पुत्र रघुनाथ सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	पन्नालाल पुत्र उदयराम सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	हीरालाल पुत्र उदयराम सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6	कंचन पुत्री उदयराम सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
7	विमला पत्नि उदयराम सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8	तेजमल पि.किस्तूर सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
9	दूदाराम पि.किस्तूर सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
10	भागचन्द पुत्र किस्तूर सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
11	जीतेन्द्र पुत्र गोविन्दराम सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
12	अर्जुन पुत्र गोविन्दराम सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
13	रीता पुत्री गोविन्दराम सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
14	बसन्ती पत्नि गोविन्दराम सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
15	विकास पुत्र चम्पालाल सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
16	पूनमचन्द पुत्र चम्पालाल सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
17	पिंकी पुत्री चम्पालाल सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
18	सुशीला पत्नि चम्पालाल सुनार नि.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी

उपस्थित वकील प्रार्थीगण	श्री इश्तियाक अहमद शेख
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री मोहित पंचोली पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

आदेश

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) ... अधिनियम 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ... काश्त रकाडेड खातेदारी भूमियों में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थीगण की कृषि भूमि का विवरण निम्न है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
बरसणी	4520	0.54	4526	0.63
	4521	0.55	4527	0.45

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

(2) प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
बरसणी	4521/5760 4522 4525 4553	0.13 0.70 0.56 0.64	बिलनाम काबिल काश्त	प्रार्थीगण द्वारा मूल परम्परागत पगडण्डी वाले रास्ते को 20 फीट चौड़ा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(3) प्रार्थीगण की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। भू.अ.निरीक्षक आमेसर की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2022 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण / पैरोकार सरकार बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। भू.अभिलेख निरीक्षक आमेसर द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थीगण /पैरोकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि आवेदित भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ते हेतु भू.अ.निरीक्षक आमेसर द्वारा प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट सत्य होकर उन्ही के अनुरूप आदेश पारित करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

(6) भू.अ.निरीक्षक आमेसर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक आमेसर / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता भू.अ.निरीक्षक आमेसर की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एंव प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये भू.अ.निरीक्षक आमेसर द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के उपपंजीयक आसीन्द द्वारा निर्धारित की गयी भूमि प्रतिकर की राशि की दुगनी राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराने बाबत् सहमत होने से भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक आमेसर / संलग्न नक्शे [illegible] निम्नांकित कृषि भूमि को अप्रार्थी के खाते की भूमि में से कम की जाकर बिलनाम सरकार में [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी से प्राप्त अमानत राशि का भुगतान अप्रार्थी को उनके खाते से कम हुये रकबे के आधार पर उनके हक हिस्से के अनुपात में किये जाने के आदेश किये जाते है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	भूमि की D.L.C. दर प्रति हेक्टर	भूमि की कुल कीमत (5x7)	भूमि की दुगुनी कीमत जो राजकोष के अमानत मद में जमा करायी जानी है (8x2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बरसणी	4525 4522 4521/5760	0.56 0.70 0.13	0.0480 0.0160 0.0104	प्रार्थीगण द्वारा मूल परम्परागत पगडण्डी वाले रास्ते को 20 फीट चौड़ा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।	276838	20597	41194

उक्त प्रकार से दर्ज किये गये गै.मु. रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 01.09.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022/ दिनांक

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested